न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभानसिंह भाटी आर.ए.एस.

पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र संख्या :: 04/2021 ::
आर.सी.एम.एस. नम्बर :: 2021/89 ::

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
जैन समाज संघ बगडी नगर तहसील सोजत वर्तमान में श्री एस. एस. जैन, बगड़ी नगर, चेरिटेबल ट्रस्ट 18/19 मुखथल स्ट्रीट चैन्नई के पदाधिकारी 1. भीकमचंद पुत्र मिश्रीलाल अध्यक्ष 2. अशोकचंद पुत्र शांतिलाल सचिव		1. सरपंच ग्राम पंचायत बगड़ी नगरा श्री भुण्डाराम सोजत 2. ओमप्रकाश पुत्र चम्पालाल जाति कलाल, निवासी कलालों का बास, बगड़ी नगर, जरिये अधिवक्ता श्री भुण्डाराम चौधरी

पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 (3) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित :–
प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्रनारायण ओझा
अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री राजूदास वैष्णव
अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री किशन सोनी

–: निर्णय :–

दिनांक : 13/09/2021

प्रार्थीगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने पंचायत पुर्नविलोकन याचिका अन्तर्गत धारा 97 (3) राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 इस न्यायालय की निगरानी याचिका संख्या 70/2016 अनवान ओमप्रकाश बनाम ताराचंद में पारित आदेश दिनांक 12.12.2017 के विरूद्ध पेश की। पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा जैर प्रार्थना पत्र पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि पंचायत निगरानी संख्या 70/2016 बअनवान ओमप्रकाश बनाम ताराचंद वगैरा में न्यायालय द्वारा दिनांक 12.12.2017 को आदेश पारित किया है, जो काबिल रिव्यू है। माननीय न्यायालय ने समस्त अप्रार्थीगण के नाम नोटिस दिनांक 14.02.2017 को न्यायालय में उपस्थित होने बाबत जारी किये, जो प्रोपर तामील होकर न्यायालय को प्राप्त नहीं हुए, जिसमें दिनांक 14.02.2017 की आदेशिका में अप्रार्थी संख्या 1, 3 व 4 की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्रनारायण ओझा ने वकालतनाम पेश किया तथा अप्रार्थी संख्या 2 व 5 को अनुपस्थित रहने बाबत उल्लेख है कि, जबकि अप्रार्थी संख 2 व 5 की प्रोपर तामील ही नहीं हुई। इसके साथ ही पट्टा संख्या 16 श्री बलवन्तराज के नाम जारी किया गया, जबकि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा मूल निगरानी में बलवन्तराज को पक्षकार ही संयोजित नहीं किया गया, जबकि बलवन्तराज को पक्षकार संयोजन करना चाहिए था। इसी संपति एवं पट्टे के संबंध में एक दावा माननीय सिविल न्यायालय में विचाराधीन रहते हुए, माननीय न्यायालय में मूल निगरानी को निस्तारित कर दिया, जो विधि विरूद्ध है। माननीय न्यायालय मूल निगरानी में जो आदेश पारित किया, जिसमें मिसल संख्या 23/1974, संकल्प संख्या .... दिनांक ..... की पालना में जारी पट्टा संख्या 16 दिहनांक 15.12.1974 को अपास्त किया है। जबकि उक्त पट्टा जिस संकल्प की पालना में दर्ज किया है, उसके संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर मूल निगरानी संख्या 70/2016 में पारित निर्णय दिनांक 12.12.2017 को रिव्यू फरमाया जावें। प्रार्थीगण को जैर निगरानी आदेश की जानकारी नहीं थी। प्रार्थीगण मद्रास में निवासरत है तथा उनका ट्रस्ट चैन्नई में रजिस्ट्रेशन होने से उन्हें निर्णय दिनांक 12.12.2017 की जानकारी दिनांक 25.01.2021 को हुई, तब प्रार्थीगण ने

अति. जिला कलेक्टर, पाली

नकले दिनांक 15.02.2021 को मिलने पर, रिव्यू प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया, जिसे जानकारी से अन्दर म्याद शुमार फरमाया जावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने वक्त बहस कथन किया कि रिव्यू प्रार्थना पत्र म्याद बाहर पेश किया है तथा अधिवक्ता प्रार्थी स्वयं मूल निगरानी में प्रार्थीगण के अधिवक्ता थे तथा दौराने बहस उपस्थित थे, इस कारण उन्हें निर्णय की जानकारी न हो यह तथ्य मानने योग्य नहीं है। अतः रिव्यू प्रार्थना म्याद बाहर पेश किये जाने से खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 ने कथन किया कि अधिवक्ता प्रार्थी ने रिव्यू प्रार्थना पत्र म्याद बाहर पेश किया है तथा उन्होंने इस संबंध में ऐसा कोई तथ्य पेश नहीं किया है, जिस कारण प्रार्थना पत्र को अन्दर म्याद शुमार किया जावे। मूल निगरानी की आदेशिका दिनांक 14.02.2017 में अप्रार्थी संख्या 2 व 5 के नोटिस तामील होना माना है साथ उस दिवस उन दोनों को न्यायालय में अनुपस्थित माना है, इससे स्पष्ट है कि उनके नाम जारी नोटिस तामील हुए है। पट्टा संख्या 16 बलवन्तराज के नाम जारी नहीं होकर संस्था के पदाधिकारी होने के नाते जारी हुआ, इसलिए संस्था कि वर्तमान पदाधिकारियों को पक्षकार संयोजित किया गया है। पट्टा जैन सेवा समाज बगड़ी के नाम जारी किया गया था। निर्णय दिनांक 12.12.2017 में पट्टा तो खारिज किया गया है, लेकिन संकल्प का कहीं अंकन नहीं किया गया है। यह तथ्य सत्य है, लेकिन यह तथ्य रिव्यू का आधार नहीं हो सकता है, यह एक लिपिकीय त्रुटि है। जिसे सुधार जा सकता है, इसके आधार पर सम्पूर्ण निर्णय को रिव्यू नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर रिव्यू प्रार्थना को खारिज फरमाया जावें।

हमने विद्वान अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया। पत्रावली व इस न्यायालय की निगरानी याचिका संख्या 70/2016 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने रिव्यू प्रार्थना पत्र साथ परिसीमा अधिनियम की धारा 5 का जो प्रार्थना पत्र पेश किया है, उसमें उल्लेख किया है कि उन्हें मूल निगरानी याचिका में पारित निर्णय दिनांक 12.12.2017 की जानकारी दिनांक 25.01.2021 को हुई तथा उन्होंने उक्त आदेश की नकले दिनांक 15.02.2021 को प्राप्त की है। पत्रावली के संलग्न फहरिस्त दस्तावेज के साथ निर्णय दिनांक 12.12.2017 की प्रमाणित प्रति पेश की है, उसमें अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्ट्रेट पाली के हस्ताक्षर दिनांक 22.10.2019 को हुए है। इससे स्पष्ट है कि अधिवक्ता प्रार्थीगण को उक्त आदेश की जानकारी दिनांक 25.01.2021 से पूर्व हो गई थी तथा उन्होंने न्यायालय के समक्ष मिथ्या तथ्य पेश किये है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97(3) के अनुसार रिव्यू प्रार्थना पत्र निर्णय पारित किये जाने के 90 दिवस में न्यायालय में पेश किया जाना चाहिए, लेकिन हस्तगत प्रकरण में ऐसा नहीं किया गया है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र स्पष्टतया म्याद बाहर पेश किया गया है। जिसे अन्दर म्याद शुमार किये जाने बाबत कोई भी युक्तियुक्त कारण अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा पत्रावली में या न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाता है। मूल निगरानी याचिका को रेकर्ड शाखा कलेक्ट्रेट पाली में प्रेषित की जावें।

(चन्द्रभानसिंह भाटी)
अति.जिला कलेक्टर,पाली

निर्णय आज दिनांक 13/09/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(चन्द्रभानसिंह भाटी)
अति.जिला कलेक्टर,पाली